भाग एक: खण्ड बीस

मध्यूदेश वन सुरक्षा सहायक को देय िवत्तीय सहायता िनयम, 2006

बमांक/एफ-25/66/2004/10-3 भोपाल िदनांक 06 फरवरी, 2007

1. संिक्षप्त नाम, िवःतार तथाूारम्भ -

(1) इन िनयमों का संिक्षप्त नाम ''मध्यूदेश वन सुरक्षा सहायक को देय िवत्तीय सहायता िनयम, 2006'' है।

(2) ये िनयम संपूणर् मध्यूदेश राज्य में लागू होंगे।

(3) ये यिनयम मध्यूदेश राज्यपऽ में उनके ूकाशन की तारीख से ूवृत्त होंगे।

2. पिरभाषाएं - इन िनयमों में जब तक संदभर् से अन्यथा उपेिक्षत न हो,

(क) ''वन सुरक्षा सहायक'' से तात्पयर् वन सुरक्षा ौिमक अथवा वन सिमित सदःय अथवा वन अपराध या वन अपरािधयों की जानकारी देने वाले मुिखबर से है।

(ख) ''वन सुरक्षा ौिमक'' से तात्पयर् ऐसे दैिनक मजदूरी ौिमक से है िजसे िक राज्य सरकार द्वारा या राज्य यसरकार की ओर से सशक्त िकसी वन अिधकारी द्वारा या वन अिधकारी द्वारा या वन िवभाग द्वारा ूवितर्त िकये जाने वाले अन्य िकसी अिधिनयम, िनयम या िनदेर्श के िकन्हीं आशयों को पूरा करने के िलए कायर् पर लगाया गया हो,

(ग) ''वन सिमित सदःय'' से तात्पयर् संयुक्त वन ूबंध के तहत गिठत एवं पंजीकृत माम वन सिमित, वन सुरक्षा सिमित एवं ईको-िवकास सिमित के िकसीभी ऐसे सदःय से है जो िक इनमें से िकसी सिमित का िविधवत् सदःय हो,

(घ) ''वन सिमित'' से तात्पयर् ऐसी पंजीकृत माम वन सिमित/वन सुरक्षा सिमित/ईको-िवकास सिमित से होगा, िजसे की वन िवभाग के द्वारा इस रूप में मान्यता दी गई हो अथवा पंजीकृत िकया गया हो,

(ड) ''आिौत पिरवार का सदःय'' से तात्पयर् वन सुरक्षा सहायक की पत्नी/पित अथवा पत्नी/पित की मृत्यु की अवःथा में वन सुरक्षा सहायक के िविधक उत्तरािधकारी से है,

(च) ''ूितवेदक अिधकारी'' से तात्पयर् ऐसे वन अिधकारी से जो पिरक्षेऽ अिधकारी से अिनम्न अिधकारी होगा, जो िक इन िनयमों के अंतगर्त िकसी सुरक्षा सहायक को िवत्तीय सहायता देने के िलए संबंिधत वनमण्डलािधकारी को ूःताव ूःतुत करेगा।

(छ) भारतीय वन अिधिनयम, 1927 की धारा 2 में दी गई पिरभाषाएं उसी रूप में इन िनयमों के अंतगर्त भी लागू होंगी।

3. वन सुरक्षा सहायक को देय िवत्तीय सहायता: -वन सुरक्षा सहायक को वन सुरक्षा संबंधी कायर् संपािदत करते समय घायल होने अथवा मृत्यु हो जाने की अवःथा में उस पर आिौत पिरवार के सदःय को आरक्षी केन्िे में ूाथिमक सूचना ूितवेदन (एफ.आई.आर) दजर् होने के उपरान्त िनम्नानुसार शासकीय िवत्तीय सहायता ूािप्त की पाऽता रहेगी: -

(क) घायल होने पर इलाज का वाःतिवक व्यय।

(ख) गंभीर रूप से घायल होने पर रुपये 2000/- (रुपये दो हजार) तक तात्कािलक सहायता रािश एवं इलाज का वाःतिवक व्यय तथा िचिकत्सक की सलाह अनुसार बैड रेःट तक का पािरौिमक/वेतन।

(ग) ःथायी अपंग (Permanent disability) होने पर रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) तथा इलाज का वाःतिवक व्यय।

(घ) मृत्यु होने पर रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख) की अनुमह रािश।

(ड) िकसी वन अपराधी द्वारा उसके िवरूद्ध लाये गये न्यायालयीन ूकरण में से न्यायालयीन व्यय की ूितपूितर् की समःत रािश।

4. देय िवत्तीय सहायता के सहायता ूिबया एवं अन्य ूावधानः -

(1) उपरोक्तानुसार िनयम 3 में देय िवत्तीय सहायता का भुगतान संबंिधत वनमण्डल के वनमण्डलािधकारी द्वारा वन पिरक्षेऽ अिधकारी से अिनम्न ूितवेदन अिधकारी के ूितवेदन के ूःताव पर ःवयं की संतुिष्ट होने पर िकया जा सकेगा।

(2) रािश का भुगतान ःवयं वन सुरक्षा सहायक को या उसकी मृत्यु की अवःथा में उस पर आिौत ''पिरवार के सदःय'' को ही िकया जावेगा।

(3) ूितवेदन अिधकारी अपने ूितवेदन में यह ःपष्ट करेंगे िक संबंिधत वन सुरक्षा सहायक/वन सुरक्षा ौिमक अथवा वन सिमित सदःय वन सुरक्षा के कायोर्ं के िनवर्हन के दौरान घायल हुआ है अथवा मृत्यु को ूाप्त हुआ है। इसी ूकार वे ही यह भी ूमािणत करेंगे िक संबंिधत वन सुरक्षा से जुड़े हुए कारणों से ही अथवा वन सुरक्षा संबंधी कारर्वाई के दौरान ही घायल या मृत हुआ है।

(4) िकसी भी िवत्तीय सहायता का भुगतान राष्ट्र्ीयकृत बैंक से देय बैंक साफ्ट/बाःड चैक द्वारा िकया जावेगा। िवशेष पिरिःथित में रुपये 1000/- (रुपये एक हजार) तक की रािश ूित ूकरण भुगतान सीधे नगद भी िकया जा सकेगा।

(5) घायल होने पर उपचार पर आये वाःतिवक व्यय का भुगतान िकसी शासकीय िचिकत्सक के दौरा ूमािणत िकये जाने पर तथा ूितवेदक अिधकारी के ूित हःताक्षर उपरांत वनमण्डलािधकारी के दौरा उतनी ही रािश तक िकया जा सकेगा, िजसे वे संबंिधत उपचार आिद पर हुए व्यय के िलए सही एवं समुिचत पायेंगे और जो िनयम-3 के ूावधानों तक ही सीिमत करेगा।

(6) मृत्यु की अवःथा में सक्षम अिधकारी द्वारा जारी मृत्यु ूमाण-पऽ तथा पोःटमाटर्म िरपोटर् ूःतुत िकये जाने पर ही भुगतान की पाऽता होगी।

(7) ूितवेदन अिधकारी ःवतः अथवा संबंिधत पिरक्षेऽािधकारी के माध्यम से त्विरत उपचार हेतु वन सुरक्षा सहायक को ऐसी रािश का अिमम के रूप में भी भुगतान कर सकेगा, िजसे वे उपचार के िलए आवँयक समझें। वनमण्डलािधकारी, ूितवेदक अिधकारी/वन पिरक्षेऽािधकारी द्वारा िदये गये अिमम को िनयमानुकूल और सही पाये जाने की अवःथा में कुल देय रािश से एडवान्स के रूप में दी गई रािश को कम कर भुगतान करेंगे।
(8) सामूिहक रूप से वन सुरक्षा के कायोर्ं के दौरान घायल अथवा मृत्यु होने की अवःथा में मृत्यु होने की अवःथा में ूत्येक वन सुरक्षा सहायक को उपरोक्तानुसार रािश का पृथक-पृथक भुगतान िकया जा सकेगा।

(9) िजन ूकरणों का िनराकरण कमर्कार-ूितकर िनयम, 1923 के अंतगर्त िवचारधीन हों, उन ूकरणों को इन िनयमों के तहत िनराकृत नहीं िकया जायेगा।

5. अपील - कोई भी वन सुरक्षा सहायक, धारा 4 में पािरत आदेश से व्यिथत हो तो वह तत्संबंध में आदेश पािरत होने के 30 िदवस के अंदर क्षेऽीय वन संरक्षक को अपील दायर कर सकेगा एवं क्षेऽीय वन संरक्षक उभय पक्षों को सुनने के उपरांत अपील ूःतुत होने के 45 िदन के अंदर अपना आदेश ूसािरत करेंगे जो िक अंितम होगा।

....

भोपाल, िदनांक 27 जून 2008

बमांक एफ 3-01/1999/10-1, िवभागीय समसंख्यक आदेश िदनांक 28.12.2007 के द्वारा वन सुरक्षा के दौरान शहीद वन किमर्यों के आिौतों को रु. 5.00 लाख (पांच लाख) अनुमह रािश ःवीकृत करने के आदेश जारी िकए गए थे।

2. राज्य शासन द्वारा एतद् द्वारा िनणर्य िलया गया िक वनों की सुरक्षा के दौरान शहीद वन किमर्यों के आिौतों को रु. 5.00 लाख के ःथान पर रुपये 10.00 लाख (रुपये दस लाख) िवशेष अनुमह रािश ःवीकृत की जाये।

....